



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-18/2024-25

सरकार

बनाम्

नूर अंसारी

—: आदेश :—

दिनांक 27/04/25

पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-1272/अप0शा0 दिनांक-27.04.2024 से बसंतराय थाना काण्ड संख्या-47/2023 दिनांक-18.07.2023 में धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17J-6941, (इंजन नंबर-391354SUK10245, चेचिस नंबर-WVCL30405147285), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदित किया गया है। जिसके आधार पर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

उल्लेख करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0क्रि0 नं0-313/2025 (हेमन्त साह एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक-06.05.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसका पारा-5 में अंकित है :-..... After hearing the parties, since it is admitted fact that the confiscation proceeding has been initiated in terms of Rule 11(v) of the Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transpiration and Storage) Rules, 2017 and the said Rule has been declared ultra vires by this Court in WP(C) No. 6788 of 2023, this writ petition needs to be allowed. एवं पारा-6 में इस न्यायालय के द्वारा राजसात किये गये आदेश को रद्द किया गया है तथा वाहन का कागजात सत्यापन के उपरांत वाहन को विमुक्त करने का आदेश दिया गया है।

अतः जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा एवं संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के उपर्युक्त पारित आदेश के आलोक में वाहन के कागजात का सत्यापन करते हुए वाहन को विमुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति सभी संबंधित के साथ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।